LEGISLATIVE ASSEMBLY

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

REVISED LIST OF BUSINESS

Monday, 03 August, 2015/ 12 Shraavan 1937 (Saka)

2.00 P.M

1. **Introduction of newly appointed Secretary (Legislative Assembly):**

   The Hon'ble Speaker, Legislative Assembly to Introduce the newly appointed Secretary (Legislative Assembly).

2. **Special Mention(Rule 280):**

   The following Members to raise matters under Rule 280 :

   1. Sh. Jagdish Pradhan
   2. Sh. Raghuvinder Shokeen
   3. Sh. Rajender Pal Gautam
   4. Sh. Anil Kumar Bajpai
   5. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar)
   6. Sh. Om Prakash Sharma
   7. Sh. Gulab Singh
   8. Sh. Rajesh Rishi
   9. Sh. Jagdeep Singh
   10. Sh. Nitin Tyagi

3. **Government Resolution (Rule 90) :**

   Shri Sandeep Kumar, Hon'ble Minister of Women & Child, Social Welfare, SC & ST to move the following Resolution under Rule-90 :-

   "That having noted with anguish and deep sense of regret the ever increasing incidence of crime against women in the National Capital Territory of Delhi and perceived negligence and inability on the part of law enforcing agency in dealing with this grave situation, this House resolves that:

   - Pursuant to Section 3 of *The Commissions of Inquiry Act, 1952*, a Commission of Inquiry, consisting of not more than three members including a retired Judge who will be its Chairman, be constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi.

   The House further resolves that:

   - The terms of reference for the Commission so constituted shall, broadly, be:

   1. To receive unheeded complaints regarding crimes such as violence, sexual harassment, stalking, voyeurism etc., that are committed against women since February, 2013, i.e. subsequent to amendments made to IPC and CrPC on the basis of some of the recommendations made by Justice Verma Committee and suggest action to Government of National Capital Territory of Delhi,
   2. To suggest necessary amendments to the relevant laws, if any,
   3. To recommend to Government of National Capital Territory of Delhi whether any case of negligence or collusion is made out prima facie in the cases examined,
   4. To recommend measures to expedite all the proceedings in such criminal cases,
   5. To propose measures to be taken to properly implement the provisions of existing laws as well as the recommendations of the Justice Verma Committee and to prevent recurrence of such incidents, And
   6. To address any other issue/s that the Commission may find relevant during the course of its inquiry.

   The House also resolves that:

   The Government of National Capital Territory of Delhi is wholly authorised to enlarge the scope of inquiry to be conducted by the Commission thus constituted, if the circumstances so warrant."

Delhi
03 August, 2015

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
संशोधित कार्य सूची

सोमवार, 03 अगस्त, 2015 / श्रावण 12, 1937 (शक)

अपराहन 2.00 बजे

1. **अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा सचिव का परिचय :**

2. **नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :** निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे:

1.श्री जगदीश प्रधान
2.श्री रघुविन्द्र शौकीन
3.श्री राजेन्द्रपाल गौतम
4.श्री अनिल कुमार वाजपेयी
5.श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
6.श्री ओमप्रकाश शर्मा
7.श्री गुलाब सिंह
8.श्री राजेश ऋषि
9.श्री जगदीप सिंह
10.श्री नितिन त्यागी

3.. **नियम 90 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प :**

श्री संदीप कुमार, माननीय महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण एवं अनु.जा./जन.जा. मंत्री नियम-90 के अन्तर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हमेशा से बढ़ते अपराधों और इस गंभीर स्थिति से निपटने में कानून लागू करवाने वाली एजेन्सी की असमर्थता और उदासीनता को गहरी व्यथा और बहुत अफसोस के साथ देखते हुए यह सदन संकल्प करता है कि:

"राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम,1952 की धारा-3 के अनुसार, एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया जाये, जिसके अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे।'

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि:

इस प्रकार गठित आयोग के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र होंगे:

1.जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी,2013 से भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय आपराधिक संहिता में किए गए संशोधनों के उपरांत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, योन शोषण, स्टॉकिंग, अभद्र छेड़छाड़ इत्यादि की न सुनी गई शिकायतें प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार को इस विषय में सुझाव देना,

2.सम्बद्ध कानूनों में, यदि आवश्यक हो, जरूरी संशोधनों का सुझाव देना,

3.जाँच किए गए मामलों में से किसी मामले में प्रथम दृष्टया उदासीनता या मिलीभगत का मामला सामने आने पर इस विषय में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सिफारिश करना,

4.ऐसे सभी आपराधिक मामलों में पूरी कार्रवाई को जल्दी निपटाने के लिए उपायों की सिफारिश करना,

5.वर्तमान कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपायों का सुझाव देना, और

6.आयोग द्वारा जांच के दौरान पाये गये किसी भी अन्य सम्बद्ध मामले को निपटाना।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि:

"परिस्थितियों की मांग होने पर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार इस प्रकार गठित आयोग द्वारा की जाने वाली जाँच का दायरा बढ़ाने हेतु पूर्णत: अधिकृत है।"

दिल्ली
03 अगस्त, 2015

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव